



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43577

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7690/2026

चंद्रकला

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुनील थेकमा, विकास यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका/उसकी अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार लालगंज, जिला आजमगढ़ को निर्देश दिया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34/35 के तहत वाद संख्या 970/2018 (कंप्यूटर वाद संख्या T201815060400970) (श्रीमती चंद्रकला देवी बनाम लौजारी) का शीघ्रता से निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित एवं समीचीन होगा; जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे किसी आवेदन के दायर किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उसका निस्तारण एक समय-सीमा के भीतर, तथा विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए करे। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7),

“(7). तहसीलदार, नामांतरण के निर्विवाद मामलों का निपटारा मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेंगे, और नामांतरण के विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेंगे; और यदि इस अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।”

5. उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार, लालगंज, जिला आजमगढ़ को यह निर्देश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त आवेदन को अपने हाथ में लें और उसका निपटारा, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए तथा उसकी अपनी खूबियों के आधार पर, अत्यंत शीघ्रता से करें; और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर ही करें, किंतु ऐसा करते समय अनावश्यक स्थगन न दें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।